

मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग


76, अरेरा हिल्स, भोपाल

क्रमांक 311/002/2020

भोपाल, दिनांक : 9/2/21

सूचना

उपभोक्ता अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष और कार्यकारिणी सदस्यगण से हुई चर्चा के संदर्भ में राज्य उपभोक्ता आयोग द्वारा दिनांक 15 फरवरी 2021 से सीमित संख्या में राज्य आयोग के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले प्रकरणों में कोविड-19 के संबंध में जारी दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए वैयक्तिक सुनवाई प्रारंभ किये जाने का निर्णय लिया गया है।


(राजीव म. आपटे)

रजिस्ट्रार,


मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण
आयोग, भोपाल

पृष्ठांकन क्रमांक 311/002/2020

भोपाल, दिनांक : 9/2/21

प्रतिलिपि - सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित -

1. माननीय सदस्य डॉ. श्रीमती मोनिका मलिक, म.प्र. राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, भोपाल।
2. माननीय सदस्य श्री श्याम सुन्दर बन्सल, म.प्र. राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, भोपाल।
3. अध्यक्ष, उपभोक्ता अधिवक्ता संघ, भोपाल।
4. अध्यक्ष, उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियरा
5. अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियरा


(राजीव म. आपटे)

रजिस्ट्रार,

मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण
आयोग, भोपाल

M. P. STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, BHOPAL.

Date : 9.2.2021.

N O T I C E

Having discussed the subject about starting of physical hearing of cases with the Office Bearers and Members of the Consumer Bar Association it has been decided that from 15.2.2021 the matters listed before the State Commission will be heard through physical hearing and with limited number of cases ensuring compliance of guidelines issued regarding COVID0 19.


By order of the Hon'ble President.


(Rajeev M. Apte)
Registrar,

M.P. State Consumer Disputes
Redressal Commission, Bhopal.

Copy to :

1. Hon'ble Member Dr. (Smt) Monika Malik
2. Hon'ble Member Shri S.S. Bansal
3. President, Consumer Bar Association, Bhopal.
4. President, High Court Bar Association, Jabalpur / Indore / Gwalior.
5. President, District Court Bar Association of Jabalpur / Indore / Gwalior / Bhopal.


(Rajeev M. Apte)
Registrar,

M.P. State Consumer Disputes
Redressal Commission, Bhopal.